न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 14/2024

1. नरेश पुत्र बलवंत जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ
2. कान्ता देवी पत्नी नरेश जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ

अपीलांट्स

बनाम

1. भानीराम पुत्र बलवंत जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. सीमादेवी पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11–11–2021 न्यायालय तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 कैम्प भोगपुरा प्रकरण संख्या 66/2021 मे पारित निर्णय को अपास्त करने बाबत।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

उपस्थितः– 1. श्री रामकुमार कस्वां अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकिय अधिवक्ता।

–:निर्णयः–

दिनांकः–05.08.2025

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 कैम्प भोमपुरा में चक 3 बी पी एस एम के खाता संख्या 40/29 की 3.506 है० व खाता संख्या 11/9 की 0.506 है० एवं खाता संख्या 64/53 की .253 है० तथा चक 1 बी पी एस एम के खाता संख्या 45/42 की 1.265 है० संयुक्त खाता की भूमि के विभाजन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनाक 8--11–2021 को पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गई व विचारण न्यायालय ने पटवारी रिपोर्ट व अनुबंध पत्र जमाबंदी व नक्शा के आधार पर अन्तिम निर्णय पारित कर दिया जो निम्न आधारों पर काबिल खारिजी के है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलांट संख्या 2 द्वारा दिनांक 22–6–2020 को चक 1 बी पी एस एम की एक बीघा किला नम्बर 25 की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से खरीद की थी जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी हल्का व विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी, का नामान्तरण व विभाजन किये बिना ही उक्त चक 1 बी पी एस एम भूमि अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम संयुक्त ही छोड़ दी जिससे अपीलाधीन निर्णय का कोई फायदा सहकाश्तकारों को ना होकर विवाद बढ गया अब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने का फायदा उठाकर अपीलांट को बैय की गई भूमि को अन्य व्यक्ति को बैय अथवा रहन कर सकता है। विचारण न्यायालय के समक्ष सहकाश्तकारो ने विभाजन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि रास्ता खाला की सुविधा को ध्यान में रखकर अच्छी मंदी किस्म के अनुसार विभाजन कर दे उक्त समस्त कार्यवाही हेतु रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि सभी के किले पत्थर अलग कर देगा व बैयनामा की भी नामान्तरण हो जायेगा पंचायत मे अभियान लगेगा। अपीलांट केवल साक्षर व अंगूठा छाप व्यक्ति है पटवारी हल्का द्वारा ही पटवार घर मे दिनांक 8–11–2021 को कागजात पर हस्ताक्षर करवाये व कहा कि अब अपने आप काम हो जायेगा सभी के किले पत्थर अलग अलग हो जायेगे। कुछ माह पश्चात् पटवारी ने बताया कि तुम्हारे किले अलग हो गये है जब जमाबंदी अपीलांट ने मांगी तब कहा कि जमाबंदी ऑनलाईन हो रही है या साईट नही चल रही कह कर टाला गया जिससे प्रार्थीगण को सही जानकारी नही हुई है व कब्जा से भिन्न भूमि का नामान्तरण कर दिया गया है व जब अपीलांट ने जमाबंदी निकलवाई तो पता चला कि खातेदार अभी भी अलग नही है कुछ रकबा अलग किया गया है कुछ को साथ ही छोडा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वादग्रस्त भूमि में सहकाश्तकारो के हिस्सा को कम ज्यादा कर दिया गया है व संयुक्त ही रख दिया है जिससे अपीलांट को नुकसान हुआ है व बैयनामा का भी नामान्तरण दर्ज नही किया है जिस कारण चक 1 बी पी एस एम मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चला आ रहा

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

है। अपीलांट साक्षर व अंगूठा छाप व्यक्ति है जिनको पटवारी हल्का द्वारा केवल मात्र यही बताया गया कि आपके बैयनामा व संयुक्त खाता अलग कर नामान्तरण कर दिया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने भी पटवारी की बातों में हां में हां मिला दी जिस पर अपीलांट ने विश्वास कर लिया अब फसल कटाई के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने चक 1 बी पी एस एम के किला नम्बर 25 में कब्जा लेने की कोशिश की तब अपीलांट ने जमाबंदी व रजिस्टरी की कोपी निकलवाई तो अपीलांट को ज्ञान हुआ कि बैयनामा का नामान्तरण नही हुआ है व हर खाता मे नाम संयुक्त ही चले आ रहे है तो विभाजन आधी भूमि का ही हुआ है व हिस्सा भी गलत दर्ज हुआ है तब दिनांक 25–4–2024 को अपीलाधीन निर्णय की प्रति लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 26–4–2024 को नकल तैयार करवायी व दिनांक 27–4–2024 व 28–4–2024 को अवकाश होने के कारण आज वकील से सम्पर्क कर बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलाटस स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–11–2021 न्यायालय तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ प्रकरण सख्या 66/2021 प्रशासन गांव के संग अभियान खारिज फरमाया जावे। अति कृपा होगी।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 03 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्ट सं0 01, 02 को रजिस्टर्ड सम्मन तामील होने के बावजूद इस न्यायालय में उपस्थित नहीं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलाटस स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–11–2021 न्यायालय तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ प्रकरण सख्या 66/2021 प्रशासन गांव के संग अभियान खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ द्वारा जारी आदेश दिनांक 11–11–2021 जो विधि अनुसार है इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया किः–

1. अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी के संबंध में अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र व अपीलार्थी के शपथ पत्र के आधार पर अपील में हुयी देरी को न्यायहित में माफ (कन्डोन) करते हुए अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।
2. विभाजन आदेश से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने हिस्से की कृषि भूमि में से पत्थर नम्बर 228/42 मु. न. 18 के किला नम्बर 25 की .240 है0 भूमि रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 22.06.2020 द्वारा अपीलांट संख्या 02 को बैय कर दी।
3. प्रश्नगत विभाजन आदेश दिनांक 11.11.2021 में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा पूर्व में अपीलांट संख्या 02 को बैय की गई भूमि के अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया, जबकि भूमि विक्रय करने पर भूमि के समस्त अधिकार केता को प्रदान किये जाने थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाजन आदेश से पूर्व तहसीलदार द्वारा गहन जांच नहीं की गई।

अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ द्वारा प्रकरण संख्या 66/2021 में जारी आदेश दिनांक 11.11.2021 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनकर राजस्व रिकार्ड के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़